



दूरभाष: 05862-270695 फैक्स: 05862-270695

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर
KENDRIYA VIDYALAYA SITAPUR

सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर
Sarojini Vatika, Civil Lines, Sitapur
जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश पिन- 261001
District-Sitapur Uttar Pradesh Pin-261001
स्थापित वर्ष -1992 विद्यालय कोड-1755 स्टेशन कोड-415
Website: www.kvsitapur.edu.in
CBSE AFFILIATION NO - 2100083
CBSE SCHOOL CODE - 09034
E-Mail Id : kvsitapur@kvsedu.org, kv_stp@rediffmail.com

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ.260225/के.वि.सीतापुर/2017-18/कोटेशन /

दिनांक: 09/06/2017

कोटेशन प्रपत्र

कोटेशन एवं संविदा की सामान्य शर्तें

सेवा में,

त्वरित डाक / वेबसाइट

मेसर्स _____

विषय : केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर हेतु सत्र 2017-18 के लिए छपाई कार्य (Printing) हेतु कोटेशन

महोदया/महोदय,

- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग के केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर हेतु मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 29.06.2017 (अपरान्ह 3:00 बजे तक) संलग्न सूची की वस्तुओं की छपाई कार्य (printing) हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित कोटेशन पत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा बयाना राशि (Earnest Money) रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) के रूप में बैंक ड्राफ्ट/चेक सहित उपयुक्त सील मोहर के साथ मोहरबन्द लिफाफे में प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर के नाम से केवल त्वरित/पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 29.06.2017 सायं 3:00 बजे तक पहुँचने पर स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बाँयी ओर सुस्पष्ट शब्दों में छपाई कार्य (printing) हेतु कोटेशन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। प्राप्त कोटेशन को दिनांक 30.06.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे विद्यालय क्रय परामर्श दात्री उपसमिति की बैठक में खोला जायेगा।
- कोटेशन फार्म की शर्तें जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा कोटेशनदाता को कोटेशन में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए।
- कोटेशन में दर एवं लागू कर की दर का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कोटेशनदाता को वस्तुओं/सामग्री की आपूर्ति (F.O.R) विद्यालय परिसर में करनी होगी।
- कोटेशन फार्म में अंकित वस्तु व उनके मूल्यों में कोई कांट-छांट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
- अधोहस्ताक्षरी किसी भी कोटेशन को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यूनतम दर वाले कोटेशन को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। वह किसी भी कोटेशन को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। कोटेशन की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रख कर की जायेगी।
- कोटेशन स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह कोटेशन प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा कोटेशनदाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
- कोटेशन के साथ संलग्न प्रपत्र में वर्णित सम्बन्धित कोटेशन के अनुसार रुपये 10,000 (रुपये दस हजार मात्र) बयाना राशि (Earnest Money) के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/चेक द्वारा संलग्न करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट/चेक “प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर” के पक्ष में निर्गत होना चाहिए। जिन कोटेशन कर्ता की कोटेशन स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि कोटेशन स्वीकृत होने की तारीख के एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में बयाना राशि के बिना कोटेशन पर विचार नहीं किया



(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ.260225/के.वि.सीतापुर/2017-18/कोटेशन /

दिनांक: 09/06/2017

- जाएगा। सरकारी संस्थाएं कोटेशन हेतु आवेदन करना चाहती है तो वह बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए विद्यालय कय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो कोटेशन दाता पर लागू होगा।
- जिन कोटेशनदाताओं की कोटेशन स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि (Security Deposit) स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम कोटेशन पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि कुल आपूर्ति का **10 प्रतिशत** होगी और सामानों के औसत मासिक आपूर्ति के आधार पर निश्चित होगी।
 - कोटेशनदाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति विद्यालय में करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली कोटेशनदाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।
 - कोटेशन फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना कोटेशन के साथ अथवा कोटेशन खोलने के समय जैसा निर्देशित किया गया है, प्रस्तुत करेंगे। अधोहस्ताक्षरी को कोटेशन स्वीकृत के बाद भी वस्तुओं का नमूना मांगने का अधिकार होगा तथा कोटेशनदाता का दायित्व होगा कि वह नमूना प्रस्तुत करें।
 - वस्तु की आपूर्ति की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्देशों व मानदण्डों के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
 - कोटेशन पत्र उन्ही फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएंगे जो उस वस्तु के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका बिक्रीकर पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो। किसी भी जनरल आर्डर सप्लायर कमीशन एजेंट एवं मध्यस्थ को कोटेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
 - कोटेशनदाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
 - फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का झापट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
 - विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
 - कोटेशन की दरें दिनांक **30.06.2018** तक मान्य होगी।
 - सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय सीतापुर होगा।
 - भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।
 - आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा कोटेशन की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए कोटेशन अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।
 - कोटेशन प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
 - कोटेशन दाता कोटेशन के साथ निम्न प्रमाण पत्र (स्व-अभिप्रमाणित) संलग्न करेंगे।
 - आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर वेबाकी प्रमाण पत्र।
 - निर्धारित धरोहर राशि का बैंक झापट/चेक।
 - जहाँ लागू हो टिन (वैट/बिक्री कर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति।
 - फर्म का पैन कार्ड की प्रति



दूरभाष: 05862-270695 फैक्स: 05862-270695

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर
KENDRIYA VIDYALAYA SITAPUR

सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर
Sarojini Vatika, Civil Lines, Sitapur
जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश पिन- 261001
District-Sitapur Uttar Pradesh Pin-261001
स्थापित वर्ष -1992 विद्यालय कोड-1755 स्टेशन कोड-415
Website: www.kvsitapur.edu.in
CBSE AFFILIATION NO - 2100083
CBSE SCHOOL CODE - 09034
E-Mail Id : kvsitapur@kvsedu.org, kv_stp@rediffmail.com

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ.260225/के.वि.सीतापुर/2017-18/कोटेशन /

दिनांक: 09/06/2017

ड. फर्म का लेटरहेड

च. अन्य आवश्यक कागजात

Details : (available on the School website : www.kvsitapur.edu.in)

प्राचार्य

कोटेशन प्रपत्र में लिखित उपरोक्त समस्त शर्तें हमें मान्य हैं ।

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर

स्थान : फर्म की मुहर, पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर
दिनांक :

गवाह-I नाम -

पता -

पेशा -

गवाह-II नाम -

पता -

पेशा -

कोटेशन-दाता के बारे में आवश्यक जानकारी

क्र०सं०	मद	तथ्य
1	फर्म का नाम व पूरा पता (फोन, ई मेल सहित)	
2	फर्म स्वामी का नाम एवं पता	
	Authorized signatory (अधिकृत व्यक्ति) का नाम एवं पता (यदि है तो)	
3	स्वामित्व का प्रकार (एकल स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम...)	
4	EMD बैंक ड्राफ्ट/चेक की संख्या व दिनांक तथा जारी करने वाले बैंक का नाम	
5	पैन सं० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	



दूरभाष: 05862-270695 फैक्स: 05862-270695

केन्द्रीय विद्यालय सीतापुर
KENDRIYA VIDYALAYA SITAPUR

सरोजिनी वाटिका, सिविल लाइन, सीतापुर
Sarojini Vatika, Civil Lines, Sitapur
जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश पिन- 261001
District-Sitapur Uttar Pradesh Pin-261001
स्थापित वर्ष -1992 विद्यालय कोड-1755 स्टेशन कोड-415
Website: www.kvsitapur.edu.in
CBSE AFFILIATION NO - 2100083
CBSE SCHOOL CODE - 09034
E-Mail Id : kvsitapur@kvsedu.org, kv_stp@rediffmail.com

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा संचालित)
(Run by Kendriya Vidyalaya Sangathan New Delhi, an Autonomous Body under MHRD Government Of India)

पत्रांक: एफ.260225/के.वि.सीतापुर/2017-18/कोटेशन /

दिनांक: 09/06/2017

6	वर्तमान आयकर बेबाकी प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
7	टिन न० (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8	GST से सम्बन्धित अभिलेख (स्व प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
9	पिछले 2 वर्षों के महत्वपूर्ण करारों का विवरण (स्व प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)	

नोट- हमने कोटेशन अभिलेख में दी गयी शर्तों आदि को विधिवत अध्ययन कर लिया है। मैं प्रिंटिंग की सेवा देने के लिए सहमत हूँ और कोटेशन दस्तावेज में दी गई नियम एवं शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार हूँ और संलग्न प्रपत्र में दिए गए करार से पूर्णतः सहमत हूँ।

मेरी एजेंसी केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/स्वायत निकायों /किसी भी प्रकार के संस्थान या कार्यालय द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी है और ना ही किसी प्रकार का आपराधिक मामला लम्बित है।

कोटेशन में दी गयी सभी जानकारी मेरे संज्ञान में है और पूर्णतया सत्य है। यदि कोटेशन में दी गयी कोई जानकारी भविष्य में असत्य या भ्रामक पायी जाती है, तो उसके लिए मैं पूर्णतया जिम्मेदार हूँ।

(कोटेशनदाता)

हस्ताक्षर - _____

नाम - _____

ई मेल - _____

मोबाइल न० - _____

प्राप्त कोटेशन को 30.06.2017 को अपराह्न 11:00 बजे निम्नलिखित व्यक्तियों के समक्ष खोला गया	
नाम	हस्ताक्षर